

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2022

S.O. 5318(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares that the following substance, salt and preparations thereof to be manufactured drugs, namely:—

- (i) Bromphine - 1-[1-[1-(4-Bromophenyl)ethyl]-piperidin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one
- (ii) Metonitazene - *N,N*-Diethyl-2-(2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1*H*-benzo[*d*]imidazole-1-yl)ethan-1-amine

[F. No. N-12019/3/2021-NC-II]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

का.आ. 5319(अ).—जबकि केंद्र सरकार, जानकारी और प्रमाणों, जो इसके लिए उपलब्ध हो गया है, प्रकृति और प्रभाव के संबंध में और निम्नलिखित पदार्थों (प्राकृतिक या सिंथेटिक) या प्राकृतिक सामग्री या किसी भी साल्ट या इसके दुरुपयोग की गुंजाइश के आधार पर ऐसे पदार्थों या सामग्रियों की तैयारी, और ऐसे पदार्थों के संबंध में संशोधन और मनः प्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन 1971 में शामिल किए गए बदलाव, कि निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक सामग्रियों या साल्ट्स को जोड़ना आवश्यक है या ऐसी तैयारी मादक पदार्थों की सूची में पदार्थ या ऐसी सामग्री के आधार पर संतुष्ट है जो स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 के 61) (एतश्मिनपश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में यथा संदर्भित) की अनुसूची में निर्दिष्ट है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट मनःप्रभावी पदार्थों की सूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में, क्रम सं. 110ZZA, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम.संख्याओं और प्रविष्टियों के अंतः स्थापित किया गया है, अर्थात्:—

क्र. सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-स्वामित्व नाम	अन्य गैर-स्वामित्व नाम	रासायनिक नाम
"110ZZB"		यूटाइलोन	1-(बेंजो[डी][1,3]डाइऑक्सोल-5-वाईएल)-2-(एथिलैमिनो)बुटान-1-ऑन 1-(1,3-बेंजोडायऑक्सोल-5-वाईएल)-2-(एथिलैमिनो) बुटान-1-ऑन"

[फा. सं. एन-12019/3/2021-एनसी- II]

मुकेश सुंदरियाल, अवर सचिव

टिप्पणी : नशीली दवाओं और स्वापक पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की अनुसूची में का.आ. 785(अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के तहत पहली बार संशोधन किया गया था और इसमें बाद में संशोधन का.आ. 49(अ), दिनांक 8 जनवरी, 1993, का.आ. 39(अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, का.आ. 475(अ), दिनांक 11 जून, 2003, सा.का.नि. 621(अ), दिनांक 1 अगस्त, 2003, सा.का.नि. 1(ई), दिनांक 2 जनवरी, 2004, का.आ. 311 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 2011, का.आ. , 2016, का.आ. क्रमांक 1383 (अ), दिनांक 2 मई, 2017, का.आ. 821(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2018, का.आ. 1761(अ), दिनांक 26 अप्रैल, 2018 और का.आ. 3448(अ) दिनांक 13 जुलाई, 2018, का.आ. 1352(अ), दिनांक 13 मार्च 2019, का.आ. 1275(अ), दिनांक 23 मार्च 2021 और का.आ. 4428(अ), दिनांक 22 सितंबर 2022 के अंतर्गत किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2022

S.O. 5319(E).—Whereas the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effect of and the scope for abuse of the following substances (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substances or materials, and the modification with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances 1971, that it is necessary to add the following substances or natural materials or salts or preparation of such substances or materials in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the said Act, namely:—

In the said Act, in the Schedule, after serial number 110ZZA and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Sl. No.	International non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
“110ZZB		Eutylone	1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-one”

[F. No. N-12019/3/2021-NC-II]

MUKESH SUNDRIYAL, Under Secy.

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was first amended, *vide* number S.O. 785(E), dated the 26th October, 1992 and subsequently amended, *vide* numbers S.O. 49(E), dated the 8th January, 1993, S.O. 39(E), dated the 12th January, 1996, S.O. 475(E), dated the 11th June, 2003, G.S.R. 621(E), dated the 1st August, 2003, G.S.R. 1(E), dated the 2nd January, 2004, S. O. 311 (E), dated the 10th February, 2011, S. O. 376 (E), dated the 5th February, 2015, S. O. No. 2374 (E), dated the 12th July, 2016, S.O. No. 1383 (E), dated the 2nd May, 2017, S.O. 821(E), dated the 27th February, 2018, S.O. 1761(E), dated the 26th April, 2018 and S.O. 3448(E), dated the 13th July, 2018, S.O. 1352(E), dated the 13th March 2019, S.O. 1275(E), dated the 23rd March 2021 and S.O. 4428(E), dated the 22nd September 2022.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

का.आ. 5320(अ).—केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के खंड (viii) और (xxiii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा संख्या का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001, के तहत भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना में निम्नलिखित और आगे संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 238ZZW और इससे संबंध प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियों का समावेशन किया जाएगा, अर्थात:—